

पेशक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर

सेवा में,

कार्यालय अध्याक्ष
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक- मु.चि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20 16452


दिनांक - 03 / 04 / 2020

विषय - जनपद में कोरोना वाइरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019 - 20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18-03-2020 द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वाइरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 % लोग धूमपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान-मसाला का सेवन कर इधर-उधर धूमने से कोरोना वाइरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य विमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान-मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।


अतः उक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल COTPA-2003 के नियमों / उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान-मसाला खाकर यत्र-तत्र धूमने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर
तारदिनांक

पत्रांक- मु.चि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनाएं प्रेषित।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
- 4- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट करें।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 6- यु.पी.वी.एच.ए. लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर